

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 446]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2016— अग्रहायण 22, शक 1938

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक 12571/वि. स./स्था./2016. — सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22, सन् 2005) की धारा -28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अध्यक्ष, विधान सभा छत्तीसगढ़ “छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क और मूल्य विनियमन) संशोधन नियम-2011” में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
(1) यह नियम “छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क और मूल्य विनियमन) (संशोधन) नियम-2016” कहलायेंगे.
(2) यह नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे.
2. परिभाषा
नियम का तात्पर्य छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क और मूल्य विनियमन) नियम-2011 से है.
3. नियम-5 में संशोधन
नियम-5 में अंक एवं शब्द रुपये 500/- (रुपये पांच सौ) के स्थान पर अंक एवं शब्द रुपये 300/- (रुपये तीन सौ) प्रतिस्थापित किया जाय.

आदेशानुसार
हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भित्ताई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 137]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 अप्रैल 2018 — चैत्र 21, शक 1940

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

स्थापना शाखा

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक 620/वि. स./स्था/2018 . — सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22, सन 2005) की धारा-28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अध्यक्ष, विधान सभा छत्तीसगढ़ “छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क और मूल्य विनियमन) संशोधन नियम-2011 एवं 2016” में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | (1) यह नियम “छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क और मूल्य विनियमन) (संशोधन) नियम-2018” कहलायेंगे |
| | (2) यह नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे. |
| (2) परिभाषा | नियम का तात्पर्य छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क और मूल्य विनियमन) नियम-2018 से है. |
| (3) नियम-5 में संशोधन- | नियम -5 में अंक एवं शब्द रुपये 300/- (रुपये तीन सौ) के स्थान पर अंक एवं शब्द रुपये 50/- (रुपये पचास) प्रतिस्थापित किया जाये. |
| (4) नियम-6 में संशोधन | नियम -6 के उप नियम 1 से 3 में शब्द रुपये पन्द्रह के स्थान पर रुपये पांच प्रतिस्थापित किया जाये. |

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराडे)
सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 138]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 अप्रैल 2018 — चैत्र 21, शक 1940

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

स्थापना शाखा

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक 621/वि. स./स्था/2018 . — सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22, सन 2005) की धारा-28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अध्यक्ष, विधान सभा छत्तीसगढ़ “छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (अपील) नियम-2017” में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | (1) यह नियम “ छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (अपील) (संशोधन) नियम-2018” कहलायेंगे |
| (2) परिभाषा | (2) यह नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे. |
| (3) नियम-3 (5) में संशोधन - | नियम का तात्पर्य छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (अपील) नियम-2018 से है. |
| | नियम -3 (5)को विलोपित किया जाये. |

हस्ता./-

(चन्द्र शेखर गंगराडे)
सचिव.